**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3326 का उत्तर**

**तत्काल टिकटों की बुकिंग**

**3326. श्री लाल सिंह वड़ोदियाः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में तत्काल टिकटों की एक साथ बुकिंग के कारण मिनटों में टिकटें खत्म हो जाती थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी मिली है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

 **उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

1. से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

तत्काल टिकटों की बुकिंग के संबंध में दिनांक 23.03.2018 को राज्‍य सभा में श्री लाल सिंह वड़ोदिया के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3326 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

1. से (घ): भारतीय रेल पर कंप्‍यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के जरिए पहले आओ पहले पाओ आधार पर तत्‍काल सीट सहित आरक्षित स्‍थान की बुकिंग कराई जा सकती है। व्‍यस्‍त अवधियों/दिनों के दौरान, जब मांग उपलब्‍धता से अधिक हो जाती है, विशेषकर उच्‍चतर श्रेणियों और लोकप्रिय मार्गों पर आरक्षित सीटें आरक्षण खुलने के कुछ ही समय के भीतर बुक हो जाती हैं। बहरहाल, गैर-व्‍यस्‍त अवधियों के दौरान, कम लोकप्रिय मार्गों और निम्‍नतर श्रेणियों में लंबी अवधि तक स्‍थान उपलब्‍ध रहता है। यह स्थिति तत्‍काल सीटों के लिए अधिक संगत है जहां सीमित स्‍थान निर्धारित किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्‍योंकि उपलब्‍ध सीमित स्‍थान की बुकिंग के लिए इंटरनेट के साथ-साथ 3465 कंप्‍यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों पर 10,300 से भी अधिक काउंटरों के जरिए एक साथ बुकिंग का प्रयास किया जाता है।

 इसके अलावा, बुकिंग के समय अथवा इंटरनेट के जरिए भुगतान करते समय लेनदेन की विफलता के कारण तत्‍काल टिकटें बुक करने के दौरान यात्रियों को असुविधा होने के कुछ मामले भी नोटिस में आए हैं। लेनदेन की विफलता सामान्‍यत: उपयोगकर्ता की ओर अथवा पेमेंट गेटवे पर नेटवर्क की समस्‍या के कारण होती है। जहां तक इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्‍ड टूरिज्‍म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के सर्वर का संबंध है, इसमें प्रति मिनट 20000 बुकिंगों की क्षमता है, जो मौजूदा भार की सम्‍हलाई के लिए पर्याप्‍त है। बहरहाल, भविष्‍य में इंटरनेट के माध्‍यम से टिकटों की अधिक संख्या में बुकिंग की प्रत्‍याशा में, टिकटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 5 नए इटानियम सर्वरों को संस्‍थापित किया गया है। तत्‍काल टिकटों सहित आरक्षित टिकटों की बिक्री में कदाचार में बेईमान तत्‍वों के लिप्‍त होने के कुछ मामले भी रिपोर्ट किए गए हैं और जब कभी इस प्रकार के मामले भारतीय रेल के नोटिस में आते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

 तत्‍काल योजना का दुरूपयोग रोकने के लिए तत्‍काल योजना में कुछ अंतर्निहित विशेषताएं हैं जिनमें इस योजना में उल्लिखित कतिपय विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कन्‍फर्म तत्‍काल टिकटों को रद्द करवाने पर धनवापसी न करने की व्‍यवस्‍था, तत्‍काल टिकट में किसी प्रकार के आशोधन की अनुमति न प्रदान करना आदि शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा और इस योजना का दुरूपयोग रोकने के लिए कुछ अतिरिक्‍त उपाय भी किए गए हैं, जिनमें से कुछ हैं:-

* 1. तत्‍काल योजना के अंतर्गत आरक्षण के समय को अलग करना
	2. ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के जरिए कपटपूर्ण बुकिंग पर रोक लगाने के लिए पंजीकरण, लॉगइन और बुकिंग पेज पर कैपचा लगाना।
	3. पेमेंट गेटवे का इस्‍तेमाल करने से पूर्व और इंटरनेट के जरिए टिकटें बुक करते समय भुगतान करने के बाद न्‍यूनतम समय सीमा निर्धारित करना।
	4. सभी नेट बैकिंग भुगतान विकल्‍पों के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) अनिवार्य करना।
	5. आरक्षण खुलने के पहले आधे घंटे के दौरान प्राधिकृत एजेंटों को तत्‍काल टिकटें बुक करवाने की अनुमति न देना।

 दलालों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सतर्कता, सुरक्षा और वाणिज्यिक विभागों द्वारा संयुक्‍त/विशिष्‍ट रूप से निवारक और नियमित जांचे की जाती हैं और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

 \*\*\*\*\*